उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-11/2018/140/92-2-18-191जांच/15

लखनऊ:: दिनांक:: 18 जनवरी,2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम पंचायत खरिहट कला में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 08 गलियों एवं ग्राम पंचायत रूझौली के कतिपय गलियों के निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जॉच आख्या में पायी गयी अनियमितताओं तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति संतोषजनक न पाये जाने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-07/2017/2263/92-2-16-191जांच/15 दिनांक 02-01-2017 द्वारा श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-मिर्जापुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिण्मडल-गोरखपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर के पत्र दिनांक 14-09-2017 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की उक्त जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नहीं पाया गया, परन्तु शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त जांच अधिकारी से इतर मत रखते हुये कतिपय बिन्दुओं पर शासन के पत्र दिनांक 27.10.2017 द्वारा अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 05-12-2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्व कोई आरोप स्थापित नही होता है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02-01-2017 द्वारा श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-मिर्जापुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2018/140(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-मिर्जापुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।